

30-5-2015

राजस्व लोक अदालत द्वारा अल्पकाल के  
 तहत उपभूत पको को सुनवाई हेतु नोटिस  
 जारी होने के बाद पत्रावली आज  
 राजस्व लोक अदालत अदालत सेवा के  
 प्रोड्यूसर पर पेश हुयी/ प्रोड्यूसर के  
 वकील उपर/ प्रोड्यूसर को उपस्थित/ प्रोड्यूसर  
 का मुल्य बाद पिके दे जाने से इति  
 प्राप्ति के चलने का कोई कोटि  
 नहीं है अतः प्राप्ति खारिज किया  
 जाता है पत्रावली अदालत मुद्रा देकर  
 नक्का ले कर दे तथा शामिल मुल्य बाद है

राजस्व लोक अदालत

(15)